

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)**

(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्री. रीता मोती RAS

अग्रणी/किसरा केरवा ..... उनवान बनाम पप्पू/कुवागा वगैरह .....

दावा बाबत.....  
मुकदमा नम्बर :- 81/2017 मुकदमे का प्रकार :-

निर्णय दिनांक :- 1-5-2018  
वादी की ओर से अग्रणी/किसरा केरवा की व प्रतिवादी की ओर से पप्पू/कुवागा वगैरह

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 1-5-18 को..... (नाम पीठसीन अधिकारी) श्री. रीता मोती RAS  
के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तस्वीलपार पीपलू से प्राप्त तस्वील रिपोर्ट डेटागार खिल पर पक्षकारान उधारित होकर मुताबिक तस्वील रिपोर्ट डेटागार दुवा आन्तिम डिक्री कान का निवेदन किया है। पक्षकारान की सहमति से लोक अदालत की मावना मुताबिक तस्वील रिपोर्ट आन्तिम डिक्री किया जाता है तस्वील निवेदन का आन्तिम होगा है।  
खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 1-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

अग्रणी  
**उप खण्ड अधिकारी**  
**पीपलू (टोंक)**  
पीठसीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पीपलू  
जिला टोंक (राज.)

**वाद के खर्चे**

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.	प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4.	.....रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील	
6.	कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7.	आदेशिका की तामील		
	जोड़	जोड़	

अग्रणी  
**उप खण्ड अधिकारी**  
**पीपलू (टोंक)**  
पीठसीन अधिकारी  
पीपलू जिला टोंक (राज.)